न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 103/2017 अपील

उनवान

1.श्री नन्दलाल पिता कालूलाल गुरू **बनाम** जाति गर्ग निवासी हमीरगढ जिला भीलवाड़ा

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हमीरगढ
2.श्री मुकुट बिहारी पिता कालूलाल गुरू
3.श्री लोकेश पिता विष्णुप्रकाश गुरू
4.श्री पवन पिता विष्णुप्रकाश गुरू
5.श्री चन्दू पिता विष्णुप्रकाश गुरू जाति गर्ग
6.श्रीमती मन्जू बेवा श्री विष्णुप्रकाश गुरू जाति गर्ग
7.श्री विजय कुमार पिता रतनलाल विजयवर्गीय निवासियान हमीरगढ (राज0)
8.श्रीमती आशा पत्नि रतनलाल मण्डोवरा निवासी हमीरगढ

—— अपीलार्थी —— रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0भू0रा0 अधिनियम 1956 विरूद्ध तहसीलदार हमीरगढ बमामला नामान्तरकरण संख्या 3801 निर्णय दिनांक 29.12.2010

उपस्थित :— श्री दिनेश मण्डोवरा अधि0 अपीलार्थी की ओर से !
अनुपस्थित रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक : 23/05/2018

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0भू0रा0 अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार हमीरगढ , बमामले नामान्तरकरण संख्या 3801, निर्णय दिनांक 28.12.2010 के खिलाफ दिनांक 07.12.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम हमीरगढ तहसील हमीरगढ में जमाबन्दी सम्वत् 2065 से 2068 खाता नम्बर 113 में अंकित आराजी नम्बर 2844—2845—2846—2847—2848 व 2852 कुल कीता 06 कुल रकबा 06.12 बीघा भूमि अपीलार्थी के पिता कालू पिता घीसा गुरू की होकर कालू के देहावसान उपरान्त विरासत से नायब तहसीलदार साहब हमीरगढ द्वारा जरिये इन्तकाल नम्बर 3801 के जरिये उपरोक्त आराजीयात का विरासत से नामान्तरकरण अपीलार्थी एवं अपीलार्थी के भाई बहिन मुकुट बिहारी, संतोक, रतन, गीता पिता कालू, पवन, लोकेशचन्द्र नाबालिग बविलायत माता मन्जू बेवा विष्णु प्रकाश के नाम पर खोला गया परन्तु सहवन से अपीलार्थी का नाम नन्दलाल के बजाय नन्दराम दर्ज कर दिया। जबकि नन्दराम व नन्दलाल एक ही व्यक्ति है। नन्दराम नाम का कालू के अन्य कोई पुत्र नहीं है। अपीलार्थी को उक्त गलत नाम इन्द्राज होने की जानकारी नहीं थी व हाल ही में दिनांक 02.11.2017 को अपीलार्थी द्वारा कम्प्यूटर से खाते की नकल निकलवायी तब इस गलत इन्द्राज की जानकारी हुई। अपीलार्थी ने

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

नामान्तरकरण की नकल हेतु दिनांक 28.11.2017 को आवेदन प्रस्तुत किया व दिनांक 29.11.2017 को नकल प्राप्त हुई। नामान्तकरण भरते व फैसल करते वक्त राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना अपीलार्थी को सुने मनमकसूद तरीके से अपीलार्थी का नाम नन्दलाल के बजाय नन्दराम दर्ज कर दिया जो गलत है। नामान्तकरण के आदेश दिनांक से नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी के समय को कण्डौन फरमाया जाने हेतु धारा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। अतः निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जाकर न्यायालय नायब तहसीलदार हमीरगढ के नामान्तरकरण संख्या 3801 निर्णय दिनांक 28.12.2010 में अपील की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में नन्दराम पिता कालू के बजाय नन्दलाल पिता कालू दुरूस्त कराया जाने व इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में नाम इन्द्राज कराया जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 18.12.2017 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थीगण को वजह जाहिर हेतु नोटिस जारी किये गये तथा अपीलाधीन आदेश सम्बधी रिकार्ड तलब किया गया। प्रत्यर्थीगण बावजूद तामील स्वयं उपस्थित नहीं न ही इनकी ओर से कोई अधिवक्ता ही हाजिर आए जिससे इनके विरूद्ध दिनांक 23.05.2018 को एक तरफा आदेश पारित किया गया। प्रत्यर्थीगण के द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का मौखिक या लिखित रूप में कोई खण्डन नहीं किया गया। अपीलार्थी के द्वारा अपील मीमों के साथ में नामान्तरकरण संख्या 3801 ग्राम हमीरगढ की प्रमाणित फोटो प्रति, ग्राम हमीरगढ के खाता संख्या 113 की सम्वत् 2065 से 2068 व खाता संख्या 511 सम्वत् 2069 से 72 की नकल जमाबन्दियां, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान–पत्र की फोटो प्रति, आधार कार्ड की फोटो प्रति, परिवार राशन कार्ड की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई। वकील अपीलार्थी की बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए अपीलार्थी का नाम संशोधन हेतु निवेदन किया ।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस एवं अपील में अंकित तथ्यों पर मनन किया तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

सर्व प्रथम अपील मेमो के साथ प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दफा 5 कानूनी मियाद पर विचार किया जाकर मियाद के बिन्दु पर विचार किया जा रहा हैं। प्रार्थी ने अपने आवेदन में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार हमीरगढ के आदेश के सम्बन्ध में कम्प्यूटर से खाते की नकल निकालने पर इन्तकाल की जानकारी हुई तत्पश्चात यह अपील प्रस्तुत की गई अतः निवेदन है कि अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन फरमाते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाई जावे। प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रार्थी के दफा–5 के प्रार्थनापत्र के खण्डन में किसी प्रकार का जवाब अथवा प्रति शपथ–पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के प्रार्थनापत्र व उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथपत्र पर अविश्वास करने का कारण न्यायालय के समक्ष नही हैं। सामान्य न्याय सिद्धान्तो को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दफा 5 कानून मियाद प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते हैं।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अब अपील मीमो के गुणावगुणों पर विचार किया जा रहा हैं। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील मेमो में विवाद का विषय यह रहा कि ग्राम हमीरगढ तहसील हमीरगढ के जमाबन्दी सम्वत् 2065 से 2068 खाता नम्बर 113 में अंकित आराजी नम्बर 2844–2845–2846–2847–2848 व 2852 कुल कीता 06 कुल रकबा 06.12 बीघा भूमि अपीलार्थी के पिता कालू पिता घीसा गुरू के नाम पर खातेदारी हक से अभिलिखित थी। श्री कालू के फौत होने पर उक्त खाते में नामान्तकरण संख्या 3801 दिनांक 28.12.2010 से विरासत से नन्दराम, मुकुटबिहारी पिता कालू संतोक, रतन, गीता पुत्रियां कालू आदि के नाम दर्ज होना सिद्व होता है। इस सम्बन्ध में अपीलार्थी का कथन है कि विरासत के नामान्तकरण संख्या 3801 के निर्णय के समय सुना नहीं गया बिना किसी दस्तावेज के आधार पर मुझ अपीलार्थी का नाम नन्दलाल के बजाय नन्दराम गलत दर्ज कर दिया जो दुरूस्ती योग्य है इस सम्बन्ध में अपीलार्थी ने अपील के साथ प्रस्तुत भारत निर्वाचन आयोग से जारी निर्वाचन पहचान पत्र दिनांक 19.01.2011 की फोटो प्रति में श्री नन्दलाल पिता कालूलाल, आधार कार्ड संख्या 490570251384 की फोटो प्रति में नन्दलाल गर्ग पिता कालूलाल, परिवार राशन कार्ड संख्या 00567 ग्राम पंचायत हमीरगढ में अपीलार्थी का नाम नन्दलाल गर्ग पिता कालूलाल दर्ज है। भारत निर्वाचन आयोग से जारी पहिचान पत्र एवं आधार कार्ड के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी का नाम नन्दलाल पिता कालूलाल गर्ग है न कि नन्दराम ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य ठहरती है। अतएव –

आदेश

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0भू0रा0 अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार हमीरगढ, बमामले नामान्तरकरण संख्या 3801 निर्णय दिनांक 28.12.2010 को निरस्त करते हुए श्री कालू पिता घीसा गुरू नि0 हमीरगढ के खाते की ग्राम हमीरगढ की आराजी नम्बर 2844–2845–2846–2847–2848 व 2852 कुल कीता 06 कुल रकबा 06.12 बींघा भूमि में कालू के फौत होने से उक्त नामान्तकरण संख्या 3801 से दर्ज वारिसान के नाम उसी अनुसार यथावत रखते हुए अपीलार्थी का नाम नन्दराम पिता कालू के बजाय नन्दलाल पिता कालू दर्ज किए जाने हेतु अपीलार्थी अपील स्वीकार की जाती है। आदेशानुसार पालना हेतु आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 23.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
भीलवाडा

जिला कलक्टर भीलवाडा